न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 643 / 2022

अनवान : –

1. विजय कुमार पुत्र बीरबलसिंह जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र बीरबलसिंह जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. सुनीता चौधरी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. इन्द्रजीत चौधरी पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार **राज**

निर्णय दिनांकः 18/03/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 83/86 की कुल 9.4420 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 195/55 की कुल 1. 2210 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के मृतक पति व पिता धर्मपाल क नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्तक के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 83/86 की कुल 3.9080 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबस श्योपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 195/55 की कुल 1.2210 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 [illegible] ने वादी के वाद को स्वीकार कर [illegible] इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया की रोही मौजा ललानाबास

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दिखनादा के जमाबंदी सम्वत 2071–74 तहसील नोहर के खाता स0 83/86 की 9.4220 हैक्ट भूमि का मुताबिक राजीनाम बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया है–

1. ख0न0 267/1 की उत्तरी पासा की 0.843 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/527 की उत्तरी पासा की 1.3026 हैक्ट, ख0न0 278/2 की 0.995 हैक्ट कुल 3.1406 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

2. ख0न0 267/1 के बीच वाली 0.843 हैक्ट भूमि ख0न0 278/527 के बीच की 1.3027 हैक्ट, ख0न0 278/2 के बीच की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी।

3. ख0न0 267/1 की दक्षिण पासा की 0.843 हैक्ट, ख0न0 278/527 की दक्षिण पासा की 1. 3027 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/2 की दक्षिण पासा की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि धर्मपाल मृतक का नाम कलमजन कर बिमला देवी, सुनीता चौधरी, इन्द्रजीत चौधरी यानि की प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 के पास रहेगी।

रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195/55 की कुल 1.2210 हैक्ट भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है–

ख0न0 39/5 की पूर्वी पासा की 0.4875 हैक्ट भमि वादी के पास रहेगी एवं ख0न0 38/5 के बीच की 0.4875 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी तथा ख0न0 39/5 की पश्चिमी पासा की 0.2460 हैक्ट भूमि प्रतिवादीण संख्या 2 ता 4 के पास रहेगी एवं मृतक धर्मपाल का नाम कलमजन किया जावे।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है एवं वादी के वाद के संबंध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 83/86 की कुल 9.4420 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 195/55 की कुल 1.2210 हैक्ट भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के मृतक पति व पिता धर्मपाल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। धर्मपाल का देहान्त हो चुका है धर्मपाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार 2 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के जमाबंदी सम्वत 2071–74 तहसील नोहर के खाता स0 83/86 की 9.4220 हैक्ट भूमि के ख0न0 267/1 की उत्तरी पासा की 0.843 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/527 की उत्तरी पासा की 1.3026 हैक्ट, ख0न0 278/2 की 0.995 हैक्ट कुल 3.1406 हैक्ट भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 267/1 के बीच वाली 0.843 हैक्ट भूमि ख0न0 278/527 के बीच की 1.3027 हैक्ट, ख0न0 278/2 के बीच की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 267/1 की दक्षिण पासा की 0.843 हैक्ट, ख0न0 278/527 की दक्षिण पासा की 1.3027 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/2 की दक्षिण पासा की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं धर्मपाल पुत्र बीरबलसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195/55 की कुल 1.2210 हैक्ट भूमि के ख0न0 39/5 की पूर्वी पासा की 0.4875 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 39/5 के बीच की 0.4875 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा ख0न0 39/5 की पश्चिमी पासा की 0.2460 हैक्ट भूमि प्रतिवादीण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक धर्मपाल पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाता है तथा खाता संख्या 83/86 में हंसराम के स्थान पर हंसराज का संशोधन किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरी नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 643/2022

अनवान : –

1. विजय कुमार पुत्र बीरबलसिंह जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र बीरबलसिंह जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. बिमला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. सुनीता चौधरी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. इन्द्रजीत चौधरी पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 643 सन 2022 निर्णय दिनांक —18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के जमाबंदी सम्वत 2071–74 तहसील नोहर के खाता स0 83/86 की 9.4220 हैक्ट भूमि के ख0न0 267/1 की उत्तरी पासा की 0.843 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/527 की उत्तरी पासा की 1. 3026 हैक्ट, ख0न0 278/2 की 0.995 हैक्ट कुल 3.1406 हैक्ट भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 267/1 के बीच वाली 0.843 हैक्ट भूमि ख0न0 278/527 के बीच की 1.3027 हैक्ट, ख0न0 278/2 के बीच की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 267/1 की दक्षिण पासा की 0.843 हैक्ट, ख0न0 278/527 की दक्षिण पासा की 1.3027 हैक्ट भूमि, ख0न0 278/2 की दक्षिण पासा की 0.995 हैक्ट कुल 3.1407 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं धर्मपाल पुत्र बीरबलसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195/55 की कुल 1.2210 हैक्ट भूमि के ख0न0 39/5 की पूर्वी पासा की 0.4875 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 39/5 के बीच की 0.4875 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है तथा ख0न0 39/5 की पश्चिमी पासा की 0.2460 हैक्ट भूमि प्रतिवादीण संख्या 2 ता 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक धर्मपाल पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाता है तथा खाता संख्या 83/86 में हंसराम के स्थान पर हंसराज का संशोधन किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरी नक्शा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर